भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2764
दिनांक 10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पशुपालन के लिए निधियों का आवंटन

2764. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा नगर निगमों और पंचायतों को पशु आश्रयों की स्थापना, बाड़े लगाने और नसबंदी की अवसंरचना के लिए वित्तीय अनुदान या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो 15वें वित्त आयोग की शहरी अनुदान योजना या अन्य योजनाओं के अंतर्गत इस संबंध में आवंटित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो अपने आश्रयगृहों में बेसहारा/चोटिल/बीमार पशुओं को आश्रय देते हैं:

नियमित एवं गोपशु बचाव अनुदान - बेसहारा पशुओं का रखरखाव, पशुओं के लिए दवाओं की खरीद, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना शुल्क - पशु चिकित्सकों, SPCA निरीक्षकों, पशु चिकित्सा सहायकों, कंपाउंडरों, एम्बुलेंस चालकों आदि की नियुक्ति की लागत सहित पशुओं के लिए बचाव गृहों के रखरखाव/मरम्मत, पानी के कुंडों/सुविधाओं के निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव अभियान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह योजना - पात्र जीव-जंतु कल्याण संगठनों को पशुओं के लिए आश्रय गृहों की स्थापना, उन्नयन और रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आश्रय गृहों, आंतरिक औषधालय आदि के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें से 22.50 लाख रुपये (अर्थात 90%) सरकार द्वारा और शेष 2.50 लाख रुपये (अर्थात 10%) पशु कल्याण संगठन द्वारा(AWO) वहन किया जाता है।

हालांकि, पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार, स्थानीय निकाय, अर्थात् नगर निगम, नगरपालिका आदि, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत हैं। अतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय निकाय बेसहारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

हालांकि, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों को पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के द्वारा कोई निधियां नहीं उपलब्ध कराई जाती है।